दिनांक–08.06.2026 को सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, राँची की अध्यक्षता में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से जन वितरण प्रणाली दुकानों तक Direct Door Step Delivery के कार्यान्वयन हेतु आहूत बैठक की कार्यवाहीः–

उपस्थितिः– विवरणी संलग्न।

दिनांक–08.06.2026 को विभागीय सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से जन वितरण प्रणाली दुकानों तक Direct Door Step Delivery के कार्यान्वयन पायलट आधार पर राँची, धनबाद एवं जमशेदपुर के शहरी/नगर हेतु बैठक आहूत की गयी, जिसमें विभाग को उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं समस्याओं की जिलावार समीक्षा की गयी तथा निम्नलिखित निदेश दिये गयेः–

1. राँची–

राँची जिलान्तर्गत शहरी/नगर निगम क्षेत्र के कुल 609 जन वितरण प्रणाली दुकानों तक Direct Door Step Delivery कराये जाने का प्रस्ताव दिया गया है, जिसकी भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से अधिकतम दूरी 15 किमी० है। उक्त व्यवस्था में मुख्य रुप से मजदूरों की कमी एवं वाहनों की क्षमता के बिन्दु पर विचार किया गया।

वाहनों की क्षमता के संदर्भ में भारतीय खाद्य निगम के प्रतिनिधि द्वारा सूचित किया गया कि भारत सरकार से प्राप्त दिशा–निर्देश के आलोक में सभी प्रकार के वाहनों में उठाव की अनुमति दी गयी है।

मजदूरों की कमी के संबंध में स्पष्ट निदेश दिया गया कि भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में मजदूरों की कमी वर्तमान व्यवस्था में भी है तथा उक्त समस्या के निराकरण हेतु उनके स्तर से कार्रवाई अपेक्षित है। इस हेतु विभाग की ओर से भारतीय खाद्य निगम से पत्राचार करते हुए समस्याओं के निराकरण कराने का निदेश संबंधित पदाधिकारी को दिये जाने का निर्णय लिया गया।

2. धनबाद–

धनबाद जिलान्तर्गत शहरी/नगर निगम क्षेत्र के कुल 626 जन वितरण प्रणाली दुकानों तक Direct Door Step Delivery कराये जाने का प्रस्ताव दिया गया है, जिसकी भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से अधिकतम दूरी 20 किमी० है। उक्त व्यवस्था में मुख्य रुप से दिन के समय शहरी क्षेत्रों में वाहनों के आवागमन में निषेध के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों के माध्यम से खाद्यान्न पहुँचाने में अधिक समय एवं दूरी पर विचार किया गया।

इस संबंध में स्पष्ट किया गया कि वर्तमान व्यवस्था में भी बड़े वाहनों के माध्यम से खाद्यान्न भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से झारखण्ड राज्य खाद्य निगम के गोदामों तक पहुँचाया जाता है। तत्पश्चात् छोटे वाहनों से खाद्यान्न जन वितरण प्रणाली दुकानों तक पहुँचाया जाता है। यदि Direct Door Step Delivery का कार्यान्वयन किया जाता है तो ऐसी

परिस्थिति में छोटे वाहनों से भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से सीधे जन वितरा प्रणाली दुकानों तक खाद्यान्न पहुँचाना आसान होगा।

विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, धनबाद को निदेश दिया गया कि प्रस्ताव की पुनर्समीक्षा की जाय एवं यथा–संभव रुट का निर्धारण करते हुए अधिकतम जन वितरण प्रणाली दुकानों तक Direct Door Step Delivery कराये जाने हेतु कार्रवाई की जाय। इस संदर्भ में यदि किसी प्रकार की समस्या होती है तो विभाग को सूचित किया जाए।

साथ ही, प्रस्ताव के अनुरुप तिपहिया टेंपो के माध्यम से डोर स्टेप डिलिवरी नहीं कराये जाने का भी निदेश दिया गया।

3. जमशेदपुर–

जमशेदपुर के शहरी/नगर निगम क्षेत्रों के कुल 84 जन वितरण प्रणाली दुकानों तक Direct Door Step Delivery कराये जाने का प्रस्ताव दिया गया है। इस संबंध में विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, जमशेदपुर द्वारा बताया गया कि शहरी/नगर निगम क्षेत्र में लगभग 700 जन वितरण प्रणाली दुकान हैं। वर्तमान में जमशेदपुर में अवस्थित भारतीय खाद्य निगम का गोदाम क्रियाशील नहीं है तथा खाद्यान्न का उठाव गम्हरिया डिपो से किया जा रहा है।

इस संबंध में भारतीय खाद्य निगम के प्रतिनिधि द्वारा सूचित किया गया कि अगले माह से उक्त गोदाम क्रियाशील किया जायेगा।

4. एन०आई०सी०

उक्त मामले में एन०आई०सी०, राँची० से तकनीकी बदलाव के संबंध में पूछने पर बताया गया कि विभाग स्तर पर संचालित किये जाने वाले पोर्टल पर बदलाव किये जाने की आवश्यकता है। भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में खाद्यान्न के उठाव हेतु उनके द्वारा संचालित पोर्टल में किसी प्रकार के बदलाव की आवश्यकता नहीं है।

भारतीय खाद्य निगम के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा अन्न दर्पण संचालित किया जा रहा है। निदेश दिया गया कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा संचालित पोर्टल में भी यथा आवश्यक संशोधन कर लिया जाए एवं तदनुसार प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए।

एन०आई०सी०, राँची० को निदेश दिया गया कि उक्त व्यवस्था के कार्यान्वयन हेतु अन्न दर्पण पोर्टल के साथ इंटीग्रेट करते हुए विभागीय पोर्टल में आवश्यक संशोधन किया जाए तथा संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए।

5. विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारियों के आग्रह पर उनके द्वारा समर्पित प्रस्ताव की पुनर्समीक्षा कर 07 दिनों के अंदर पुनः स्पष्ट प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

6. उक्त व्यवस्था के कार्यान्वयन हेतु पूर्व से चयनित डोर स्टेप डिलिवरी अभिकर्त्ता द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे वाहनों का उपयोग कराये जाने का निदेश दिया गया। यदि अधिक एवं अन्य छोटे वाहनों की आवश्यकता हो, तो उसकी अनुमति दिये जाने का भी निदेश दिया गया। जो

डोर स्टेप डिलिवरी अभिकर्त्ता उक्त कार्य करने में सक्षम नहीं हो, उनके स्थान पर नये अभिकर्त्ता के चयन की प्रक्रिया किये जाने का भी निदेश दिया गया।

प्रत्येक दिन वाहनों द्वारा उठाये गये खाद्यान्न के अपने गंतव्य तक पहूँचने एवं संबंधित जन वितरण प्रणाली दुकानदार द्वारा e-PoS मशीन से खाद्यान्न की प्राप्ति उसी दिन करने पर नियंत्रण एवं निगरानी करने का निदेश दिया गया।

7. उपरोक्त निदेशों के साथ माह, अगस्त 2026 के वितरण हेतु माह जुलाई, 2026 में Direct Door Step Delivery के माध्यम से खाद्यान्न का उठाव एवं डोर स्टेप डिलिवरी कराये जाने का निदेश दिया गया। इसके अतिरिक्त शेष क्षेत्रों के लिए खाद्यान्न का उठाव एवं डोर स्टेप डिलिवरी वर्तमान व्यवस्था के अनुरुप किया जायेगा।

8. उक्त व्यवस्था के कार्यान्वयन में अपेक्षित सुधार एवं समस्याओं के निराकरण हेतु पूर्व से निर्धारित एवं उपलब्ध मानकों के आधार पर जाँच करने एवं पूर्व के एक वर्ष की सूचना प्राप्त कर वर्तमान एवं प्रस्तावित व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए प्रतिवेदन तैयार करने का निदेश KPMG को दिया गया।

9. उक्त व्यवस्था के कार्यान्वयन हेतु तैयारी की समीक्षा बैठक दिनांक 25.06.2026 को अपराह्न 04:00 बजे से निर्धारित की गयी है, जिसमें सभी उपस्थित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को भाग लेने का निदेश दिया गया।

सधन्यवाद बैठक समाप्त की गयी।

15/6/26

(राजेश कुमार शर्मा)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–खा०प्र०–01/NFSA-SCM/1–6/2025 1512 /राँची, दिनांक– 15/06/26

प्रतिलिपिः– सचिव के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची/निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, झारखण्ड, राँची/प्रबंधक निदेशक, झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची/महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, राँची/धनबाद/जमशेदपुर/वरिष्ठ निदेशक (आई०टी०), एन०आई०सी०, राँची/उप सचिव/अवर सचिव/संबंधित KPMG Team/संबंधित कम्प्युटर ऑपरेटर (श्री मुकेश कुमार), खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/6/26

सरकार के सचिव